पत्रांकः– 1135 /262/यू0एस0आर0एल0एम0/2017

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

2– **समस्त मुख्य विकास अधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

3– **समस्त जिला मिशन प्रबन्धक,**
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
उत्तराखण्ड।

एस0पी0एम0यू0–एस0आर0एल0एम0 देहरादून दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

विशय– स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा अनुश्रवण आदि के सन्दर्भ में सक्रिय महिलाओं की सेवाये लिये जाने विशयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है।

राज्य में दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत बाह्य एवं आन्तरिक सी0आर0पी0 राउण्ड के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उनके स्वयं सहायता समूह तथा उनके उच्च स्तरीय परिसंघों के निर्माण तथा उनके क्षमता विकास का कार्य वर्तमान में सघन विकासखंडों में प्राथमिकता के आधार पर गतिमान है।

चूंकि दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन में सामुदायीकरण (कम्युनिटाइजेशन) किया जाना एक महत्वपूर्ण घटक है अतः वर्तमान में गठित होने वाले स्वयं सहायता समूहों के निरन्तर सहयोग/समूह सशक्तिकरण हेतु यह नितांत आवश्यक है कि इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उसी ग्राम पंचायत की अनुभवी सक्रिय महिलाओं का सहयोग लिया जाये।

एन0आर0एल0एम0 के तहत सक्रिय महिला चयन मानक–

- सक्रिय महिला ऐसे एन0आर0एल0एम0 कम्पलाइंट स्वयं सहायता समूह से होनी चाहिये जो समूह नियमित पंचसूत्र का पालन करता हो तथा महिला में नेतृत्व का गुण हो।
- सक्रिय महिला में अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिये तथा उसे गांव में जाने तथा ठहरने में कोई भी परेशानी नही होनी चाहिये।
- गरीब महिलाओं के प्रति सक्रिय महिला की संवेदनशील होनी चाहिये।

- सक्रिय महिला को 15–30 दिनों तक सी0आर0पी0राउन्ड अथवा इमर्सन हेतु अपने घर से बाहर जाने के लिये तत्पर/तैयार रहना चाहिये तथा इस हेतु परिवार की मुखिया की सहमति होनी चाहिये।
- सक्रिय महिला कम से कम पांचवी पास होनी चाहिये। ऐसी सक्रिय महिला जो कि अच्छी सामाजिक गतिशीलन करने वाली हो तथा उसे एन0आर0एल0एम0 के बारे में अच्छी जानकारी है तो उस हेतु शैक्षिक मानदण्ड में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।
- सक्रिय महिला बैंक डिफाल्टर नही होनी चाहिये।
- सक्रिय महिला स्वस्थ होनी चाहिये।
- सक्रिय महिला का गांव के सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वीकार्यता होनी आवश्यक होगी।
- गरीबतम गरीब/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /विधवा आदि वर्ग की महिलाओं को सक्रिय महिला हेतु वरीयता दी जानी चाहिये।
- उक्त के अतिरिक्त ऐसी गरीब परिवार की महिला जो सी0आर0पी0 राउन्ड के दौरान उस गांव में सक्रिय रूप से सी0आर0पी0 टीम का सहयोग करे तथा स्वैच्छिक स्वयं सेवी के रूप में सी0आर0पी0टीम का गरीब परिवारों की पहिचान तथा समूह गठन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे, को सी0आर0पी0 टीम द्वारा सक्रिय महिला के चिन्हीकरण पर विचार किया जा सकता है। यह निर्णय सी0आर0पी0 टीम का सामूहिक निर्णय होना चाहिए।
- सी0आर0पी0राउन्ड समाप्त होने के पश्चात सक्रिय महिला द्वारा कम से कम एक माह तक अपने गांव में स्वैच्छिक रूप से नवगठित समूहों को हैंडहोल्डिग सहयोग दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्डों के अधीन चयनित सक्रिय महिलाओं में से ऐसी इच्छुक सक्रिय महिलाओं की उनके स्वयं के ग्राम पंचायतों में सेवाये ली जा सकती है जो निम्न पात्रता पूरी करते हो–

- सक्रिय महिला का स्वयं का स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमित पंचसूत्र का पालन किया जा रहा हो।
- प्राथमिकता– ऐसी सक्रिय महिला जिसके द्वारा स्वयं के समूह में बुक कीपिंग का कार्य किया जा रहा हो तथा जिसके द्वारा अपने समूह से कम से कम चार बार छोटा लोन लेकर उसे पूर्णतः जमा किया जा चुका हो। ऐसी सक्रिय महिला को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी जिसके द्वारा आजीविका सृजन हेतु अपने समूह से बैंक लोन लेकर उसे नियमित जमा किया जा चुका हो अथवा जमा किया जा रहा हो।
- ऐसी सक्रिय महिला जिसके द्वारा कम से कम चार बार छोटा लोन लेकर उसे पूर्णतः जमा किया जा चुका हो, को अपने ग्राम पंचायत में इस आदेश में सक्रिय महिला के कार्य संबंधी विन्दुओं के अनुसार अधिकतम 10 दिन तक कार्य किया जा सकेगा। जबकि ऐसी सक्रिय महिला जिसके द्वारा आजीविका सृजन हेतु स्वयं के समूह द्वारा रू0 3.00 लाख तक का लोन ले लिया हो तथा सक्रिय महिला द्वारा समूह से बैंक लोन का उपयोग कर उसे नियमित जमा किया जा चुका हो अथवा जमा किया जा रहा हो, के द्वारा अपने ग्राम पंचायत में अधिकतम 15 दिनों तक कार्य किया जा सकेगा।

- प्रत्येक सक्रिय महिला द्वारा न्यूनतम 05 स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने का कार्य किया जायेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल समूहों की संख्या 05 से कम है तो ऐसी स्थिति में एक सक्रिय महिला द्वारा ही उस ग्राम पंचायत तथा उस ग्राम पंचायत से सटी ग्राम पंचायत के कम से कम कुल 05 समूहों का पर्यवेक्षण/सहयोग किया जायेगा। ऐसी ग्राम पंचायते जिनमें दो ग्राम पंचायतों की मध्य की दूरी अधिक है तथा सक्रिय महिला द्वारा दिन के समय दोनो ग्राम पंचायतों मे कार्य पूर्ण करने के उपरांत अपने घर रात्रि विश्राम हेतु आना संभव न हो तो ऐसी दशा में स्वयं की ग्राम पंचायत में सक्रिय महिला द्वारा कार्य किये जाने संबंधी निर्णय का अधिकार जिला मिशन प्रबंधक में निहित होगा। यद्यपि 05 समूह से कम पर सक्रिय महिला की सेवाओं का उपयोग सामान्यतः नही लिया जाना चाहिए।

सक्रिय महिला द्वारा किये जाने वाले कार्य–

1. यू0एस0आर0एल0एम0 के अनुरूप ग्राम में स्वयं सहायता समूह को पंचसूत्र पालन हेतु प्रेरित करना एवं उनकी प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना।
2. समूहों के अभिलेखों से परिचय कराना एवं प्रत्येक सदस्य को यथा सम्भव लिखने का प्रयास कराना और जो लिख न सके उन्हे अभिलेखों की अन्तर्वस्तु से परिचित कराना।
3. समूहों को वित्तीय जागरूकता का प्रशिक्षण देना तथा सामाजिक स्तरों पर प्राप्त होने वाली हकदारियों जैसे चक्रीय निधि (आर0एफ0) सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0) तथा सी0सी0एल0 प्राप्ति के लिए मानसिक एवं भौतिक से रूप तैयार करना।
4. समूहों के स्वरोजगार के विशय में आर0सेटी0 द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों के प्रति उन्मुख करना एवं उसके लिए मिशन इकाई से सम्पर्क करना।
5. कौशल पंजी/कौशल पंजी एप में ग्राम पंचायत के सभी बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण करना।
6. व्यक्तिगत लाभपरक कार्यक्रमों /योजनाओं प्रमुखतया मनरेगा एवं दीनदयाल किसान कल्याण सहकारिता योजना के प्रावधानों हेतु समूह सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार करना एवं उनकी प्राप्ति हेतु ठोस प्रसास करना।
7. सामुदायिक निवेश निधि हेतु योजना तैयार करने में स्वयं सहायता समूहों का मार्ग दर्शन करना, सदुपयोग का आडिट करना एवं समय से वापसी हेतु प्रेरित करना।
8. ग्राम संगठनों के माध्यम से शेष बचे परिवारों को स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर लाना।
9. संकटग्रस्ता न्यूनीकरण की दृष्टिगत ग्राम संगठन को योजना तैयार करने में मदद करना एवं उसके सदुपयोग के आडिट को सम्पन्न करना।
10. समूह का बैंकखाता खोलने में सहयोग करना।
11. समूह की एम0सी0पी0 बनाने में सहयोग करना।
12. समूह का बैंकऋण स्वीकृत कराने में सहयोग करना।
13. समूहों एवं उनके उच्च स्तरीय प्रंसगों की आवश्यकता हेतु सांख्यकीय आंकडों के संकलन, संग्रहण और प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था करना।

मूल्यांकन पद्धति–

क्रम संख्या	घटक	सक्रिय महिला के प्राप्तांको का विवरण	कुल प्राप्तांक
1	नये समूह गठन	2 अंक प्रति नये समूह गठन पर	
2	पुनर्गठन	2 अंक, प्रति समूह पुर्नगठन पर	

3	बैठक में प्रतिभाग	1 अंक, ग्राम पंचायत के समूह की प्रति बैठक प्रतिभाग पर	
4	समूह का खाता खोलना	2 अंक, प्रति समूह के समूह बैंक खाता खोलने पर	
5	एम0सी0पी0 तैयार करना	2 अंक, प्रति समूह की एम0सी0पी0 तैयार करने पर	
6	बैंक से लोन स्वीकृति	2 अंक ,प्रति समूह बैक सें लोन स्वीकृत कराने पर।	
7	ग्राम संगठन का गठन।	5 अंक, एक ग्राम संगठन के गठन पर	

प्रत्येक सक्रिय महिला को मानदेय तभी देय होगा जब एक सक्रिय महिला उपरोक्तानुसार कम से कम एक माह में 25 अंक प्राप्त करेगी। इससे न्यून अंक प्राप्त होने पर सक्रिय महिला को Pro –Rata आधार पर मानदेय देय होगा। सक्रिय महिला का मानदेय, संबंधित ग्राम संगठन अथवा ग्राम संगठन न होने की स्थिति में, सक्रिय महिला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही देय होगा।

प्रत्येक सक्रिय महिला का मानदेय हेतु प्राप्तांकों के अनुसार कार्यो का मूल्यांकन ग्राम संगठन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जंहा ग्राम संगठन अस्तित्व में न हों वहां पर उक्त मूल्यांकन संबंधित बी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु सक्रिय महिला के स्वयं के द्वारा किये गये कार्य विवरण संबंधी प्रपत्र तथा उक्त प्रपत्र पर सत्यापन आख्या ग्राम संगठन अथवा बी0एम0एम0 (जहां ग्राम संगठन अस्तित्व में न हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा तदोपरांत ही मानदेय निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
मिशन निदेशक/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव (आर0एच0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. एम0आई0एस0, यू0एस0आर0एल0एम0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेष को विभागीय बेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0–एस0पी0एम0यू0
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रपत्र

भाग –1 (सक्रिय महिला द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

सक्रिय महिला का नाम.....पति/पिता का नाम

समूह का नाम तथा पता.....

क्रम संख्या	घटक	सक्रिय महिला द्वारा किये गये कार्य विवरण (संख्या में)	अभ्युक्ति
1	नये समूह गठन		
2	पुनर्गठन		
3	बैठक में प्रतिभाग		
4	समूह का खाता खोलना		
5	एम0सी0पी0 तैयार करना		
6	बैंक से लोन स्वीकृति		
7	ग्राम संगठन का गठन।		
8			

सक्रिय महिला के हस्ताक्षर/अ0नि0

भाग–2 **(ग्राम संगठन अथवा बी0एम0एम0 द्वारा भरा जायेगा)**

क्रम संख्या	घटक	सक्रिय महिला द्वारा किये गये कार्य विवरण (संख्या में)	कुल प्राप्तांक	अभ्युक्ति
1	नये समूह गठन			
2	पुनर्गठन			
3	बैठक में प्रतिभाग			
4	समूह का खाता खोलना			
5	एम0सी0पी0 तैयार करना			
6	बैंक से लोन स्वीकृति			
7	ग्राम संगठन का गठन।			
8				
	प्राप्तांको का महायोग			

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाये हमारे/मेरे द्वारा सत्यापित कर ली गई है तथा सक्रिय महिला द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर ही मूल्यांकन पष्चात अंक प्रदान किये गये है जो कि सही है। एवं उपरोक्तानुसार सक्रिय महिला श्रीमती .....पत्नी/पुत्री श्री..... .....ग्राम .....वि0ख.0.....जनपद ..... को कुल मानदेय रू0.....(शब्दों में) रू0..... जारी करने की संस्तुति की जाती है ।

बी0एम0एम0/ग्राम संगठन के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर एवं मुहर